को पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाबजूद भी साबिक खसरा नंबर 1051 से बने हाल खसरा नंबर का मिलान क्षेत्रफल पेश नहीं किया गया है और न ही प्रार्थना पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा अपीलान्ट/प्रार्थी के 22 ऐयर रकबे को कौन से नये खसरा नंबर में शामिल किया गया है। तथापि वकील अपीलान्ट ने बहस में यह स्पष्ट किया है कि मौके पर रकवा पूर्ण है तथा अपीलान्ट/प्रार्थीगण साबिक रकबा 269 ऐयर पर ही काबिज है। इसलिए प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.06.2018 निरस्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी भरतपुर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई व रिकार्ड पेश करने का पर्याप्त व उचित अवसर देने के बाद नये सिरे से गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 16.01.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सांवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर